निशक्तजनों का सशक्तीकरण

संध्या लिमये

वर्तमान परिदृश्य में निशक्तता के विभिन्न आयामों को समझकर योजना एवं समावेशी रणनीतियां डिजाइन करने की जरूरत महसूस होती है और निशक्तजनों के लिए समावेशी प्रोत्साहनात्मक और निवारणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को बनाने के लिए, सबसे महत्त्वपूर्ण पहला कदम निशक्तजनों की संख्या, निशक्त बच्चों के बीपीएल माता-पिता, शिक्षित बेरोजगार निशक्तजन जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है, गंभीर रूप से निशक्तजन जिन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है

भारत में परिवार व्यवस्था परंपरागत रूप से, अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था रही है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी जिसमें जरूरतमंद सदस्यों की जिम्मेदारी लेते हुए परिवार के सभी सदस्य एकसाथ रहकर जीवन व्यतीत किया करते थे। औद्योगिक क्रांति, आधुनिकीकरण, शहरीकरण और शहरों में रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो गया है। अब सामाजिक सुरक्षा की यह महत्वपूर्ण संस्था भंग हो गई है इसलिए राज्य को अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।

सामाजिक सुरक्षा जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य बच्चों, वृद्धों और निशक्तजनों जैसे संवेदनशील लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधन उपलब्ध कराना है जिससे कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। भारत में सामाजिक सुरक्षा को समाजिक बीमा, राष्ट्रीय भविष्य निधि एवं सामाजिक सहायता, नियोक्ता की जवाबदेही योजना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा कहा जाता है। (मारुति एवं मुस्तरी बेगम, 2011)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उल्लेख किया गया है कि इस देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 14 (सातवीं अनुसूची) यह गारंटी देती है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। निशक्तजनों एवं बेरोजगार वर्ग को राहत और सहायता प्रदान करने का निर्देश भी राज्य को दिया गया है। अनुच्छेद 41 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी की स्थिति में सामाजिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निशक्तता के लिए प्रभावी प्रावधान करता है। (शंकर 2006) निशक्तजन अधिनियम 1995, निशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 में जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की देखभाल जैसी निवारक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और यह अधिनियम निशक्तजनों, निशक्त महिलाओं और बच्चों को स्वाबलंबी जीवन व्यतीत करने, उन्हें सभी प्रकार की हिंसाओं से सुरक्षित करने सहित निशक्त लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है।

प्रत्येक राज्य की गरीब एवं अपना भरण-पोषण करने में अक्षम निशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होती है और सरकार अपने संबंधित राज्य के दिशा-निर्देशों तथा आवेदक की वार्षिक आय के अनुसार मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विक्लांगता पेंशन योजना, निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना, निशक्त विद्यार्थियों

लेखिका वर्तमान में मुम्बई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में निशक्तता अध्ययन केंद्र और एक्शन स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वे नेहरू फुलब्राइट और रॉकफेलर फेलो हैं। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्षों के कार्य का अनुभव है। निशक्तता के विभिन्न पहलुओं पर उनके अनेक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: limaye.sandhya@gmail.com, slimaye@tiss.edu

के लिए छात्रवृत्ति, मुख्य मातृशक्तिकरण योजना, सहायक उपकरण यंत्रों की खरीद के लिए सहायता और रोजगार में आरक्षण जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत कई कार्यक्रम व योजनाएं उपलब्ध हैं।

- निवाराणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीम सामाजिक सहायता की स्कीम होती है जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल, रोगों का टीकाकरण, माता एवं शिशु के लिए जन्म से पूर्व ओर जन्म के पश्चात् देखभाल आदि करना होता है।
- प्रोत्साहनात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं और आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करके निशक्तजनों को सहायता प्रदान कर रही हैं जिससे कि निशक्तजनों को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

टैक्स

निशक्तजन अनुच्छेद 80 यू के तहत व्यावसायिक कर और आयकर में छूट के लिए पात्र हैं और आश्रित निशक्तजनों के कानूनी अभिभावक भी अनुच्छेद 80 डीडी के तहत आयकर में छूट के पात्र हैं। यह छूट निशक्तता की गंभीरता के आधार पर दी जाती है।

शिक्षा

1. मैट्रिकोत्तर या एक वर्ष से अधिक की अवधि के व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत निशक्तजन छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता, बहुविध निशक्त विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए मापदंड 40 प्रतिशत से अधिक निशक्तता है और उनके परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित/श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कम्प्यूटर खरीदने के लिए और प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित विद्यार्थियों के लिए सपोर्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
3. निशक्त विद्यार्थियों को सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कुल सीटों में 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाता है।
4. **निशक्त बच्चों के लिए व्यापक शिक्षा योजना:** इस योजना के अंतर्गत निशक्त विद्यार्थियों के लिए सुगम एवं बाधामुक्त निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुविधाएं, पुस्तकों, वर्दियों और स्टेशनरी की आपूर्ति, विशेषीकृत अध्ययन सहायक उपकरण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस योजना के अन्य प्रावधानों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए गणित और चित्रात्मक प्रश्नों से छूट, दृष्टिबाधित हड्डी संबंधी निशक्त विद्यार्थियों के लिए लिपिक/वाचक के प्रयोग की अनुमति, सीखने संबंधी निशक्त विद्यार्थियों को परीक्षाओं में अतिरिक्त समय, तीसरी भाषा से छूट, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

प्रोत्साहनात्मक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं और आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करके निशक्तजनों को सहायता प्रदान कर रही हैं जिससे कि निशक्तजनों को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

5. **माध्यमिक स्तर पर निशक्त विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस):** इस स्कीम में 14 या उससे अधिक आयु के निशक्त बच्चों को सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं की माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना प्राथमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल में जाने वाले निशक्त बच्चों की पहचान का प्रावधान करती है और उन्हें उनकी निशक्ताओं के लिए सहायक यंत्र और उपकरण, पाठ्य सामग्री तक पहुंच, परिवहन की सुविधाएं, छात्रावास की सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, पुस्तकें, सहायक प्रौद्योगिकियों और लिपिकों एवं वाचकों के लिए व्यवस्था का प्रावधान करती है।
6. **राजीव गांधी अध्येतावृत्ति स्कीम:** इस योजना के अंतर्गत निशक्तजनों को 5 वर्षों के लिए एम.फिल एवं पी.एचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 200 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कवर किए जाने वाले सभी विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल होते हैं।

रोजगार

1. सरकार ने निशक्तजनों के लिए सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में समूह क, ख, ग, घ के पदों में 5 प्रतिशत पद आरक्षित किये हैं।
2. निशक्तजनों को सरकारी सेवाओं में रोजगार के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, निशक्तजनों को आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होती है।
3. सरकार ने विभिन्न विभागों और अनुभागों में ऐसे पदों की पहचान की है जो निशक्तजन व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उस पद पर कार्य करने के लिए आरक्षित की जाएंगी।
4. सरकार क्षेत्रीय आधार पर समूह ग और घ में भर्ती किए गए निशक्त व्यक्तियों को पोस्टिंग प्रशासनिक सीमाओं के भीतर, यथासंभव रूप से उनके मूल निवास स्थान या उसके नजदीक ही करती है।
5. सरकार ने निशक्तजनों के लिए आरक्षित सरकारी पदों में भर्ती के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में निशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार केंद्रों की स्थापना की है और सभी जिला मुख्यालयों में विशेष रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना की जा रही है। जिन स्थानों पर रोजगार केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है, वहां पर नियमित रोजगार केंद्रों में विशेष रोजगार प्रकोष्ठों की स्थापना की गई

है। निशक्तजनों को आरक्षण के अंतर्गत सरकारी रोजगार के लिए पात्र बनने के लिए विशेष रोजगार केंद्रों, प्रकोष्ठों में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। निशक्तजनों के लिए विशेष रोजगार का पंजीकरण 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों पर भी किया जा सकता है।

6. सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र में निशक्तजनों के रोजगार के लिए व्यवस्था करती है। सरकार 25,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले निशक्त व्यक्तियों के रोजगार के लिए 3 वर्षों तक निशक्त कर्मचारियों का नियोक्ता भविष्य निधि योगदान और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भुगतान करती है।
7. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की सभी प्रकार की डीलरशिप एजेंसियों में शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की है।
8. राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार के लिए निशक्तजनों को ऋण प्रदान करती है। इन योजनाओं में सेवा/व्यापार/औद्योगिक इकाइयों में लघु व्यवसाय की स्थापना, उच्च शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण निशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का विनिर्माण/उत्पादन के लिए, कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के बीच स्वरोजगार के लिए ऋण शामिल हैं।
9. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनाथालयों, महिला गृहों और शारीरिक रूप से *विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्कीम* के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ-साथ विकलांग लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए विशेष ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज को एकसमान रूप से वसूला जाएगा। लघु स्तर उद्योगों का वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये तक की पूंजी सीमा प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ब्याज की दर (0.5 प्रतिशत की छूट) में विशेष प्रावधान किया गया है।

सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए निशक्त व्यक्तियों को सहायता (एडिप योजना)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद निशक्तजनों को ऐसे टिकाऊ कृत्रिम एवं वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक एवं मानक सहायक उपकरण और यंत्र की खरीद में सहायता प्रदान करना है जो निशक्तता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित कर सके और उनकी आर्थिक क्षमता में बढ़ोतरी की जा सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनाथालयों, महिला गृहों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्कीम के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के साथ-साथ विकलांग लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए विशेष ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है। सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज को एकसमान रूप से वसूला जाएगा।

इंदिरा आवास योजना

यह केंद्रीय प्रायोजित आवास योजना है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपये तक की लागत और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में 22,000 रुपये तक की लागत पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को मुफ्त आवासी ईकाइयां प्रदान की जाती हैं। इस योजना की तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आरक्षित हैं।

निशक्तजन सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

निशक्तजनों के प्रयासों की पहचान करने और इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत निपुण/उत्कृष्ट निशक्त कर्मचारी, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी/अधिकारी, उत्कृष्ट व्यक्ति, उत्कृष्ट संस्था, अनुकरणीय व्यक्ति, उत्कृष्ट रचनात्मक निशक्तजन, उत्कृष्ट प्रौद्योगिकीय नवाचार और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए, नवाचार के अनुकूलन के लिए अलग से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। निशक्तजनों के लिए बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र और निजी कंपनियों, निशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले,राष्ट्रीय न्यास की सर्वश्रेष्ठ स्थानीय स्तरीय समिति और राष्ट्रीय विक्लांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) को भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों और स्वरोजगार प्राप्त महिलाओं, निशक्त महिलाओं के प्लेसमेंट को प्राथमिकता दी जाती है।

निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए ट्रस्ट फंड

माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2,000 की सिविल याचिका संख्या 4,655 और 5,218 में दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि जिन बैंकों ने पूर्णांकन के माध्यम से ब्याज कर के संग्रह में कर्जदारों से अनुमानित 723.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि एकत्र की थी, उन्हें इस धनराशि को किसी ट्रस्ट में जमा कराना होगा जिसका निशक्तजनों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने इन निधियों को ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविध निशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का निर्देश मांगा था जिससे कि इन निधियों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय को मंत्रालय के अनुरोध पर निर्णय लेना अभी बाकी है लेकिन इसी दौरान ट्रस्ट की स्थापना कर ली गई है और वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग द्वारा सभी बैंकों को ट्रस्ट के अकाउंट में से बकाया धनराशि का जमा करने की सलाह दी है।

मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं

निशक्तजनों को प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उचित और लागत प्रभावी सहायक

उपकरण एवं यंत्रों को प्रदान करने,उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, समाज में उनको शामिल करने की दृष्टि से लिए उपयुक्त स्कीम को वर्ष 1990-91 के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की पहचान की जाती है और सहायक यंत्र एवं उपकरणों के विकास के लिए वित्तपोषण किया जाता है।

- संरक्षणात्मक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा परिभाषित आकस्मिक निर्धनता या आकस्मिकताओं के समाधान के लिए किया गया है। इन योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा बीमा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

1. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना:** इसे 17 फरवरी, 2009 में सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत 18 से 79 आयु समूह के बहुविध निशक्तजन या गंभीर रूप से निशक्तजनों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गृहस्थों को 300 रुपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
2. **निशक्तता लाभ:** कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जिसे पूर्व में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता को रोजगार से संबंधित उन क्षतियों के लिए कर्मचारी या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति करना जरूरी होता है जिसका परिणाम मृत्यु या निशक्तता होायदि किसी कामगार को व्यवसाय से संबंधित रोग हो जाता है तो उसे रोजगार के दौरान पीड़ित माना जाएगा, ऐसी स्थिति में नियोक्ता को उक्त के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। ऐसी क्षतियों की सूची कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुसूची 1 के भाग 1 और 2 में दी गई है जिसका परिणाम पूर्ण या आंशिक निशक्तता होता है जबकि व्यावसायिक रोगों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की अनुसूची 3 के भाग क, ख और ग में परिभाषित किया गया है लेकिन यह केवल संगठित क्षेत्र में लागू है।

चुनौतियां और समाधान

भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निशक्त लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में अधिकांश विकासात्मक कार्यक्रम निशक्तजनों के आसपास की सामाजिक या शारीरिक बाधाओं के कारण उनकी पहुंच से बाहर हैं। देश में निशक्तता के विभिन्न सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन इन कार्यक्रमों की कवरेज समावेशी नहीं है और इन योजनाओं में निशक्तजनों की समस्याओं का समावेशी समाधान नहीं है। सूचना के अभाव और एक स्थान पर सूचनाएं एकत्र न हो पाने के कारण अक्सर निशक्तजन अपने लिए उपलब्ध फायदों और स्कीमों से अनभिज्ञ रहते हैं। निशक्तजनों की सहायता और फायदों की डिलीवरी के प्रशासनिक प्रबंध इधर-उधर फैले हुए हैं। इसमें न तो एकरूप फायदे का सूत्र है और न ही कोई एकल एजेंसी है जो कार्यक्रमों को प्रशासित या निर्देशित कर सके। यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में निशक्तता संबंधी कार्यक्रमों और फायदों की देख-रेख करने वाले सभी एजेंसियों एवं विभागों को एक साथ समेकित करने की जरूरत है जिससे कि एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ एक छत के नीचे समावेशी कार्यक्रम और कार्यान्वयन नीति बनाई जा सकें।

देश में निशक्तता के विभिन्न सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन इन कार्यक्रमों की कवरेज समावेशी नहीं है और इन योजनाओं में निशक्तजनों की समस्याओं का समावेशी समाधान नहीं है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में निशक्तजनों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं में निधियों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के बजट में निशक्तजनों के लिए खंड योजना प्रस्तुत करने का पक्ष समर्थन किया गया था। लेकिन मध्यावधि समीक्षा दस्तावेज़ यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस सुझाव के कार्यान्वयन के लिए कुछ भी नहीं किया जो कि इस संबंधित मंत्रालय की कार्यप्रणाली के बारे में स्वयं ही बुरी टिप्पणी है। इसके अतिरिक्त, दसवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न नीतियों के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंजूर किये गये व्यय का केवल 31 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है जो कि सरकार की लचरता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ निशक्तजनों के प्रति सरकार के उदासीन दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। (शंकर, 2006)

वर्तमान परिदृश्य में निशक्तता के विभिन्न आयामों को समझकर योजना एवं समावेशी रणनीतियां डिजाइन करने की जरूरत महसूस होती है और निशक्तजनों के लिए समावेशी प्रोत्साहनात्मक और निवारणात्मक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को बनाने के लिए, सबसे महत्त्वपूर्ण पहला कदम निशक्तजनों की संख्या, निशक्त बच्चों के बीपीएल माता-पिता, शिक्षित बेरोजगार निशक्तजन जिन्हें रोजगार दिया जा सकता है, गंभीर रूप से निशक्तजन जिन्हें निरंतर सहायता की जरूरत है, 60 वर्ष की आयु से अधिक के निशक्तजन, निशक्त महिलाएं, असंगठित क्षेत्रों आदि में काम करने वाले निशक्तजन आदि आयामों को शामिल करते हुए निशक्तजनों के संबंध में विस्तृत आंकड़े एकत्र करना है।

विस्तृत प्रशासनिक प्रबंध, विभिन्न स्रोतों से निधियों का एकीकरण, व्यावसायिक विशेषज्ञों की देखरेख में लाभांतरण और नियत्रंण ऐसे महत्त्वपूर्ण कदम हैं जिन्हें तत्काल उठाया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं से और अधिक संसाधनों को एकत्रित करने की जरूरत है जिससे कि निशक्तजनों तक अधिक से अधिक लाभों को पहुंचाया जा सके। ❑

संदर्भ

- **मूर्ति, जे.पी. और डॉ. मस्तुरी बेगम (2011):** भारत में निशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, संस्करण II, अंक 1, जनवरी 2011
- **शंकर, चित्रा (2006):** भारत में सामाजिक सुरक्षा और निशक्तजन, संस्करण 4, अंक 10, 15 मई 2006https%//www.dnis.org/print_features.php\fcatures_id¾115
- http_//cis&india.org/accessibility/blog/central&government&schemes
- http%//socialjustice.nic.in/pdf/adipsch.pdf
- Disability Benefit- http://www.india-briefing.com/news/introduction-social-security-system-india-6014.html/